

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2012—भाद्र 2, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्रमांक 2462-मप्रविनिआ-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (यट) के साथ पठित धारा 91 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों

से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों) विनियम, 2012 है।
(2) ये विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
 - (ख) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, चेयरपर्सन(अध्यक्ष);
 - (ग) "चेयरपर्सन (अध्यक्ष)" से अभिप्रेत है, आयोग का चेयरपर्सन (अध्यक्ष);
 - (घ) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;
 - (ङ) "आयोग का सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग के सचिव के रूप में पदाभिहित अधिकारी;
 - (च) "समिति" से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;
 - (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
 - (झ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य;
 - (ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग सेवा;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, के वही अर्थ होंगे, जो विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**—

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलरूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**— (1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु अध्यक्ष, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ-11 /1/2008/नियम/चार दिनांक 24/1/2008 के उपबंधों के अनुसार समयमान वेतनमान के हकदार होंगे।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा पर, ऐसी सेवा में जो ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपविनियम (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अवधारित की जाएगी।

(4) इस विनियम के उप विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपविनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न तरीके अपना सकेगा।

7. सेवा में नियुक्ति.— इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-

(1) आयु— (क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए भी शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो तथा सामान्य वर्ग का हो 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो तथा वह सामान्य वर्ग का हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा,

बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण.— पद “छंटनी” किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संगठक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.— पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व संबंधित इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था:—

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और
 (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर; सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों;
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ङ) विधवा निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल/मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल तथा उसकी उत्तरवर्ती संस्था के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा यदि वह सामान्य वर्ग का है तो 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी तथा यदि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(ट) केन्द्र/राज्य सरकार या उन सरकारों के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट (इकाई) में पूर्व से कार्यरत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्ति के लिए कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी :

परन्तु पदधारी, केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के अधीन तत्स्थानी श्रेणी में कार्यरत उन अधिकारियों के लिए उनकी अधिवार्षिकी के लिए कम से कम तीन वर्ष होना चाहिए।

टिप्पणी—(1):— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें विनियम 8 (1), (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं:— अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शायी गई सेवा के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए: परन्तु,

(क) अध्यक्ष आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो अध्यक्ष की राय में अभ्यर्थी को चयन हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पात्र ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, अध्यक्ष के विवेकानुसार, चयन में उपस्थित होने के लिए, विचार किया जा सकेगा।

(3) फीस.— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता—

(एक) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, अध्यक्ष द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।

(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(तीन) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(चार) कोई अभ्यर्थी, जो किसी महिला के विरुद्ध किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, किंतु जहां ऐसा मामला किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित हो, उसकी नियुक्ति का मामला, न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रहेगा।

(पांच) पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नि है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—

- (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) चयनित अभ्यर्थी, विनियम 9 के अनुसार किसी भी स्तर पर निरर्हित पाया जाता है तो उसका चयन तथा नियुक्ति अकृत एवं शून्य हो जाएगी।

11. चयन के माध्यम से सीधी भर्ती.—

- (1) आयोग का अध्यक्ष, अनुसूची-तीन के कालम (7) में दर्शाए गए सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन करेगा, परंतु अध्यक्ष, सेवा के लिये सदस्य के रूप में किसी विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकेगा।
- (2) (एक) सेवा में भर्ती हेतु चयन, ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर, अवधारित करे।
(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों की एक चयन सूची, समिति द्वारा उनके साक्षात्कार लिए जाने के पश्चात्, चयन द्वारा बनाई जाएगी।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, विनियम 12(1) में, निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (5) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षेतिज (होरीजेंटल) आरक्षण रखा जाएगा।
- (6) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि

आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां, किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची।—** (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हो, जैसा कि समिति अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की, पृथक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हैं, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन विनियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची, उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. **परिवीक्षा।—** सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा और यदि परिवीक्षाधीन (व्यक्ति) का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अध्यक्ष परिवीक्षा की कालावधि को एक या अधिक चरणों में अधिकतम एक वर्ष की कालावधि तक बढ़ा सकता है, ऐसी परिवीक्षा की कुल अधिकतम कालावधि दो वर्ष होगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति।—** (1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार के कालम (5) में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति में आरक्षण एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

परन्तु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन के मापदंड इस प्रकार होंगे, जैसे कि समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन-नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश दे, किन्तु सधारणतया एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें. — (1) उपविनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो जितनी की अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, और जो उपविनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण.— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति—सुसंगत वर्ष की, जिसमें समिति आहूत की जानी है, 1 जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कलैण्डर वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।

16. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो विनियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त ठहराए गए हों। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची भी प्रस्थापित की जाएगी जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, सम्मिलित होंगे।।

(2) चयन सूची तैयार करने का मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.— कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किंतु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. चयन सूची.— (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची का अनुमोदन करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हों।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शित किए गये पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में दर्शित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, जब तक कि विनियम 16 के उपविनियम (4) के अनुसार उसको पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित की जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति**— चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।
19. **विभागीय परीक्षा**— इस सेवा के पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगी जैसी कि अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए।
20. **प्रशिक्षण**— इस सेवा के पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना या आयोग के या बाहर के संचालित पाठ्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित होगा, जैसे कि अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।
21. **प्रतिनियुक्ति**— (क) नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची—दो के कालम (2) में दर्शाए गए पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विनिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव रखने वाले तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार या इन सरकारों के अधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पब्लिक सेक्टर यूनिट) में पूर्व से ही कार्यरत अभ्यर्थियों से भर सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन, उक्त अनुसूची के कालम (2) में दर्शाए गए केवल उन पदोन्नत किए जाने वाले पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकेगा जिनमें फीडर संवर्ग में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो।
(ख) प्रतिनियुक्ति के माध्यम से या विदेश सेवा पर पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी मार्गदर्शन एवं अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
22. **प्रणालीकरण (चैनलाइजेशन)**— पद, जिनके द्वारा पदोन्नति की जानी है अनुसूची—चार के कालम (2) में दर्शाए गए हैं तथा पद, जिन पर पदोन्नति की जानी है तथा पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव को उक्त अनुसूची के कालम (3) तथा (4) में क्रमशः दर्शाया गया है।
23. **निर्वचन**— यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
24. **शिथिलीकरण**— इन विनियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे ये विनियम लागू होते हैं, अध्यक्ष को ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

25. व्यावृत्ति.— इन विनियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
26. निरसन तथा व्यावृत्ति.— इन विनियमों के तत्स्थानी तथा इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे समस्त विनियम, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची - एक
(विनियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	अस्थाई पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनभान + ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयोग सचिव	01	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000+10,000 / -
2	संचालक	03	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000+10,000 / -
3	संयुक्त संचालक	04	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000+8,700 / -
4	संयुक्त संचालक (प्रशासन)	01	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000+8,700 / -
5	उप-संचालक	07	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100+6,600 / -
6	उप-संचालक (प्रशासन),	01	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100+6,600 / -
7	उप-संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी),	01	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100+6,600 / -
8	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	02	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100+5,400 / -
9	लेखाधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100+5,400 / -
10	कार्मिक अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100+5,400 / -
11	निज सचिव	03	द्वितीय श्रेणी	9,300-34,800+4200

अनुसूची - दो
(विनियम 6 देखिए)

अनुक्रमिक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	अस्थाई पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा (उपविनियम 6(1)(क) देखिए)	पदोन्नति द्वारा (उपविनियम 6(1)(ख) देखिए)	प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा (उपविनियम 6(1)(ग) देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयोग सचिव	01	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
2	संचालक	03	निरंक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3	संयुक्त संचालक	04	निरंक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
4	संयुक्त संचालक (प्रशासन)	01	निरंक	100 प्रतिशत	निरंक
5	उप-संचालक	07	40 प्रतिशत	निरंक	60 प्रतिशत
6	उप-संचालक (प्रशासन)	01	निरंक	100 प्रतिशत	निरंक
7	उप-संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
8	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	02	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
9	लेखाधिकारी	01	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक
10	कार्मिक अधिकारी	01	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक
11	निज सचिव	03	निरंक	100 प्रतिशत	निरंक

टिप्पण:- यदि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन हो तो अध्यक्ष अपने स्वविवेक से उप-विनियम 6(1)(ग) में यथा उपबंधित कालम (4) एवं (5) में दर्शाए गए पदों को प्रतिनियुक्ति से भर सकेंगे।

अनुसूची - तीन
(विनियम-6, 8 एवं 11 देखिए)

अनुक्रमिक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अतिरिक्त अर्हता	समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आयोग सचिव	लागू नहीं	विनियम 8(1)(ड) के अनुसार	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग / विधि में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि। (ख) न्यायपालिका या प्रशासन में 20 वर्षों का अनुभव। (ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी। (घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक संसूचना कौशलता।	(क) शासकीय संगठन में कार्य का अनुभव, (ख) किसी विनियमित उद्योग या विनियामक निकाय का न्यायपालिक निकाय में प्रदर्शित ज्ञान और/या अनुभव (ग) कंप्यूटर में साक्षर।	1. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष -अध्यक्ष 2. सदस्य-1 :- सदस्य 3. सदस्य-2 :- सदस्य 4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य नहीं है तो उसी प्रास्थिति का एक सदस्य 5. विषयवस्तु विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो -सदस्य 6. आयोग सचिव - संयोजक

2.	संचालक	लागू नहीं	विनियम 8(1)(ट) के अनुसार	<p>(क) किसी विश्वविद्यालय विद्युत/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।</p> <p>(ख) वृहत पावर यूटिलिटी/विद्युत मंडल में 20 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>(ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक ससूचना कौशलता।</p>	<p>(क) किसी पावर यूटिलिटी/विद्युत मण्डल में विद्युत टैरिफ के अवधारण का अनुभव,</p> <p>(ख) विनियामक विधि में विशेषज्ञता।</p> <p>(ग) कंप्यूटर साक्षरता,</p>	
3.	सथुक्त संचालक,	लागू नहीं	विनियम 8(1)(ट) के अनुसार	<p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विद्युत/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।</p> <p>(ख) वृहत पावर यूटिलिटी/विद्युत मंडल में 15 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>(ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक ससूचना कौशलता।</p>	<p>(क) विभिन्न विनियमों के प्रवर्तन की मानीटरिंग का अनुभव।</p> <p>(ख) भारतीय विद्युत विधियों से भलि-भाति परिचित।</p> <p>(ग) पावर क्षेत्र में कार्य का ज्ञान।</p> <p>(घ) कंप्यूटर में साक्षर</p>	

4.	उप-संचालक,	30 वर्ष	35 वर्ष	<p>(क) किसी विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त विद्युत/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।</p> <p>(ख) वृहद पावर यूटिलिटी/विद्युत मंडल में 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>(ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक ससूचना कौशलता।</p>	<p>(क) विद्युत विधियों तथा विद्युत क्षेत्र में सुधारों से परिचित होना।</p> <p>(ख) पावर यूटिलिटी के वित्त तथा लेखा की जानकारी विद्युत विधियों से भलि-भाति परिचित होना।</p> <p>(ग) कंप्यूटर में साक्षर</p>	
----	------------	---------	---------	---	--	--

5.	उप-संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	लागू नहीं	विनियम 8(1)(ट) के अनुसार	<p>(क) विश्वविद्यालय/संस्थान से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में इजीनियरिंग स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <p>(ख) सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध में 10 वर्ष का अनुभव</p> <p>(ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक संसूचना कौशलता।</p>	शासकीय विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कम्प्यूटर प्रणालियों के परिचालन का यथोचित अनुभव।
----	-----------------------------------	-----------	--------------------------	---	---

6.	सहायक-सचालक (सूचना प्रौद्योगिकी)	लागू नहीं	विनियम 8(1)(ड) के अनुसार	(क) विश्वविद्यालय/संस्थान से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में इजीनियरिंग स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध में 5 वर्ष का अनुभव (ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी। (घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक संसूचना कौशलता।	(क) आर.डी.बी.एम.एस. (रिलेसनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम) अथवा वैब समर्थित परियोजनाओं संबंधी कार्य का अनुभव (ख) वृहत संस्थान में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)के प्रचालन तथा संधारण में 2 वर्ष का अनुभव	
7.	लेखाधिकारी	25 वर्ष	35 वर्ष	(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि। (ख) राज्य लेखे, कोषालय कार्य अंकेक्षण, बजट, वेतन-पत्रक और बुक-कीपिंग का 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (ग) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक संसूचना कौशलता।	लेखा कर्म का अनुभव	

8.	कार्मिक अधिकारी	25 वर्ष	35 वर्ष	<p>(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि</p> <p>(ख) वृहत पावर यूटिलिटी, राज्य शासन/केन्द्र सरकार में 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव</p> <p>(ग) केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(घ) उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति तथा कम्प्यूटर साक्षरता संसूचना कौशलता।</p>	<p>(क) केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में प्रबंधन क्षमता का प्रशासनिक अनुभव।</p> <p>(ख) सेवा तथा लेखा संबंधी विषयों की सम्पूर्ण जानकारी।</p> <p>(ग) कम्प्यूटर में साक्षर</p>
----	-----------------	---------	---------	---	--

अनुसूची - चार
(विनियम-14 देखिए)

अनुक्रमंक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अनुभव	समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त संचालक	संचालक	6 वर्ष	1. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष
2.	उप-संचालक	संयुक्त संचालक	9 वर्ष	2. सदस्य-1 :- सदस्य
3.	उप-संचालक (प्रशासन),	संयुक्त संचालक (प्रशासन)	9 वर्ष	3. सदस्य-2 :- सदस्य
4.	कार्मिक अधिकारी / लेखाधिकारी	उप-संचालक (प्रशासन)	5 वर्ष	4. यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य नहीं है तो उसी प्रास्थिति का एक सदस्य
5.	निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष	5. विषयवस्तु विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो -सदस्य 6. आयोग सचिव - संयोजक

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, Dated 17th August, 2012

No.2462 /MPERC-2012. In exercise of the powers conferred by Clause (zk) of Sub-section (2) of Section 181 read with Sub-section (3) of the Section 91 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations relating to recruitment and service conditions of the Members of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I and Class II Service Recruitment) service, namely: -

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I and II Service Recruitment and condition of service) Regulations, 2012

1. **Short title and commencement.** - (1) These Regulations may be called The "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I and II Service Recruitment and condition of service) Regulations, 2012".
(2) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".
2. **Definitions.**- In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
 - (b) "Appointing Authority" in respect of the service means the Chairperson;
 - (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
 - (d) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
 - (e) "Commission Secretary" means the Officer designated as Secretary to the Commission;
 - (f) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee;
 - (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
 - (h) "Member" means a Member of the Commission;
 - (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
 - (j) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;

- (k) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (l) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (m) "Service" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Service;
- (n) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (o) Words and Expressions used in these regulations but not defined unless the context otherwise require shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rule 1961, as amended from time to time, these regulations shall apply to every member of service as mentioned in Schedule-I.
4. **Constitution of the Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-
- (1) Persons, who at the time of commencement of these regulations are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these regulations; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these regulations.
5. **Classification, Scale of pay, etc.-** (1) The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Chairperson may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled for time scale of pay according to the provisions of Finance Department Circular No. F-11/1/2008/Rule/IV dated 24.01.2008.

6. **Method of Recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these regulations, shall be made by the following methods, namely:-

- (a) By direct recruitment through selection.
- (b) By promotion of officers as specified in column (2) of Schedule-IV.
- (c) By deputation or on contract of persons, who hold a substantive/officiating capacity in such posts, and in such services as specified in this behalf by the Chairperson.
- (2) The Number of persons, recruited under Clause (a), (b) and (c) of sub-regulation (1), shall not, at any time exceed, the percentage shown in Scheduled-II of the number of posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these regulations, the method or methods of the recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) of this regulation, if in the opinion of the Chairperson, the exigencies of the service so require, the Chairperson may, with prior concurrence of the General Administrative Department adopt a method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-regulation.
7. **Appointment to the Service.** - All appointments to the service after the commencement of these regulations shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in regulation 6.
8. **Condition of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
- (1) **Age:-** (a) He/ She must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection;
- (b) The Upper age limit shall be relaxable up to the maximum of 5 years, if the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

- (i) A candidate who is permanent Government Servant and belongs to General Category should not be more than 40 years of age while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category should not be more than 45 years of age' ;
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post and belongs to General Category should not be more than 40 years of age while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;
- (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary services previously rendered by him up to maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell: Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation: - The term "retrenched Government servant" denotes a person, who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in government service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him: Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the concerning unit or due to normal reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in government service: -

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers;
 - (5) Officers discharged on after working for more than six months continuously against leave vacancies,
 - (6) Ex-serviceman invalidated out of service,
 - (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for a woman candidate in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;
- (e) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates;
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme;
- (g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department;
- (h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the Vikram Award holder candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to 40 years of age for a candidate belongs to General Category while a candidate belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe or Other Backward Class Category the upper age limit shall be relaxable upto 45 years of age, in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards/Madhya Pradesh State Electricity Board and its successor entities;
- (j) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time;
- (k) There shall be no upper age limit for appointment on deputation/contract by the Officers already working in Central/State Government or any Public Sector Unit under these Governments:

Provided that the incumbents should have at least three years for their superannuation under rules of the Central/State Government for their Officers working in the corresponding grades.

Note (1):- Candidates, who are found eligible for selection under the age concession mentioned in regulation 8 (1) (c) (i) & (ii) shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service before issue of their appointment order. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case there age limit shall be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the Chairperson to appear for the selection.

(2) Educational Qualification. -

The candidate must possess the Educational Qualifications, specified for the service as shown in Schedule-III, Provided that,

(a) In exceptional cases, the Chairperson may treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualification prescribed in these regulations, but has passed examination conducted by other Institutions/Universities by such a standard, for which the Chairperson considers the candidate eligible to appear in the Interview for selection, and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities being Universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing the selection at the discretion of the Chairperson.

(3) **Fees. -** The candidate must pay the fees specified by the Appointing Authority from time to time.

Disqualification: - (i) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for candidature by any means may be held by the Chairperson to disqualify him/her appearing for selection.

(ii) In accordance with the provisions of Rule 5 of the Madhya Pradesh (General Condition of Service) Rule, 1961, no candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.

(iii) A candidate shall not be eligible for any service or post, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26 January 2001 :

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already had one living child and in the next delivery takes place on or after the 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

- (iv) Any candidate shall not be eligible for appointment to Service, who has been convicted of an offence against woman provided that where such case is pending in court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Court.
- (v) Male candidate, who has more than one wife living and female candidate who has married a person having already a living wife shall not be eligible for appointment.

10. Decision about the eligibility of candidates shall be final. - (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear for interview.

(2) At any stage a selected candidate found disqualified according to regulation 9 then his/her selection and appointment shall be null and void.

11. Direct recruitment through Selection. - (1) The Chairperson of the Commission shall constitute a Committee consisting of Members as shown in column (7) of Schedule-III: Provided that the Chairperson may co-opt for the services of a specialist as a Member.

(2) (i) The Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority may determine from time to time.

(ii) A Select list of the candidates for service shall be made by the Committee after interviewing them by selection,

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names

appear in the list referred to in regulation 12(1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) There shall be horizontal reservation for women candidates, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil service (Special provision for appointment of women) Rules, 1997.

(6) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the directions issued by the General Administrative Department.

(7) There shall be reserved posts for the ex-servicemen in accordance with the directions issued by the General Administrative Department.

(8) Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment, and it is found in the opinion of the Appointing Authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the Appointing Authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with Government.

(10) If a sufficient number of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.

12. List of Candidates recommended by the Committee.- (1) The Committee shall prepare and forward the list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards, as determined by the Committee and separate list for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these regulations and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list. .

(3) The inclusion of a candidate's name in the list shall confer no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. Probation. - Every persons directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of one year and if the performance of the probationer has not been found satisfactory, the Chairperson may extend the period of probation upto a maximum period of one year in one or more installments i.e. total maximum period of probation shall be two years.

14. Appointment by promotion.-(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members as mentioned in column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) For the promotion of the members of service as specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) thereof the eligibility of candidate, selection process, reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions, as specified in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002:

Provided that the criteria for overall gradings of ACRs (Annual Confidential Reports) shall be as specified by the Commission from time to time.

(3) **Certification by the Appointing Authority.** - The Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusushit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhinyam and Rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhinyam.

(4) The Departmental Promotion Committee shall meet at such intervals as the appointing authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. Condition of Eligibility for Promotion.- (1) Subject to the provision of sub-regulation (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Appointing Authority as specified in column (4) of Scheduled-IV and are within the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub-regulation (2).

Explanation: - Manner of computation for eligibility for promotion period of qualifying service on 1st January of the relevant year, in which Committee is convened shall be counted from the calendar year, in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) For the Zone of consideration for promotion, the provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

16. Preparation of List of Suitable Candidates. - (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in regulation 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement, promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of the two public servants or 25% of the number of persons, whichever is more, included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies, occurring during course of the aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list:

Provided that any junior officer, who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned a higher place than that of the officer senior to him.

Explanation. - A person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The select list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Select List. - (1) The Appointing Authority shall consider the select list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion just and proper.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule-IV to the post shown in Column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-regulation (4) of Regulation 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at instance of the appointing authority and the Committee may, if it deems fit, remove the name of such persons, from the select list.

18. Appointment to the service from the Select List. - Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the names of such officers appear in the select list.

19. Departmental Examination. - Officers appointed to the posts of this service may be required to pass such Departmental Examination as may be specified in this regard by the Chairperson.

20. Training. - Officers appointed to the posts of this service may be required to undergo such training or courses conducted in house or outside, as may be specified in this regard by the Chairperson.

21. Deputation.-(a) The Appointing Authority may fill up the posts as shown in column (2) of Schedule-II through deputation by the candidates having specified qualification and experience, and those already working in the Central or State Government or any Public Sector Unit under these

Governments. Under unavoidable circumstances in which there is no candidate available in feeder cadre then only the posts of promotion as shown in column (2) of said Schedule may be filled through deputation.

(b) To fill the posts through deputation or on Foreign Service guidelines and instructions issued from time to time by State Government shall be followed.

22. **Channelization.** - The posts by which promotion is to be made are shown in column (2) of Schedule-IV and the posts to which promotion is to be made and the minimum experience required for promotion are shown in column (3) and (4) of said Schedule, respectively.
23. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Chairperson, whose decision thereon shall be final.
24. **Relaxation.** - Nothing in these regulations shall be construed to limit or abridge the power of the Chairperson to deal with the case of any person, to whom these regulations shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these regulations.

25. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.
26. **Repeal.** - All regulations corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed in respect of matter covered by these regulations:

Provided that any order made or any action taken under the regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE-I

(See Regulation 5)

S.No	Name of Posts included in the service	Total Number of Temporary Posts	Classification	Scale of Pay + Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(6)
1	Commission Secretary	01	I	37,400-67,000 + 10,000/-
2	Director	03	I	37,400-67,000+10,000/-
3	Joint Director	04	I	37,400-67,000+8,700/-
4	Joint Director (Administration)	01	I	37,400-67,000+8,700/-
5	Deputy Director	07	I	15,600-39,100+6,600/-
6	Deputy Director (Administration)	01	I	15,600-39,100+6,600/-
7	Deputy Director (Information Technology)	01	I	15,600-39,100+6,600/-
8	Assistant Director (Information Technology)	02	II	15,600-39,100+5,400/-
9	Accounts Officer	01	II	15,600-39,100+5,400/-
10	Personnel Officer	01	II	15,600-39,100+5,400/-
11	Private Secretary	03	II	9,300-34,800+4,200/-

SCHEDULE-II

(See Regulation 6)

S.No	Name of Post included in the service	Total Number of Temporary Posts	Percentage of Numbers of posts to be filled			
			By direct recruitment [see sub-regulation 6(1)(a)]	By promotion [see sub-regulation 6(1)(b)]	By Deputation/Contract [see sub-regulation 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Commission Secretary	01	NIL	NIL	100%	
2	Director	03	NIL	50%	50%	
3	Joint Director	04	NIL	50%	50%	
4	Joint Director (Administration)	01	NIL	100%	NIL	
5	Deputy Director	07	40%	NIL	60%	
6	Deputy Director (Administration)	01	NIL	100%	NIL	
7	Deputy Director (Information Technology)	01	NIL	NIL	100%	
8	Assistant Director (Information Technology)	02	NIL	NIL	100%	
9	Accounts Officer	01	100%	NIL	NIL	
10	Personnel Officer	01	100%	NIL	NIL	
11	Private Secretary	03	NIL	100%	NIL	

Note:-

If it is felt necessary and expedient to do so, the Chairperson at his discretion may fill up the Posts shown in Column (4) & (5) through deputation as provided in sub-regulation- 6(1) (c).

SCHEDULE-III

(See Regulation 6, 8 & 11)

No.	No. of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Minimum educational qualification prescribed	Additional qualification	Members of the Committee
1	(2) Commission Secretary	(3) Not Applicable	(4) According to regulation 8(1)(k)	(5) (a) Bachelor's degree in Electrical Engineering or Law from a recognized university or equivalent degree. (b) 20 years experience in Judiciary or Administration. (c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government. (d) Excellent written and verbal communication skill.	(6) (a) Experience in Govt. organization. (b) Demonstrated knowledge and/or experience in a regulated industry or with a Regulatory body or in a Judicial body. (c) Computer Literacy.	(7) (1) Chairperson of MPERC:- Chairperson (2) Member 1:-Member (3) Member 2:-Member (4) In case nominated Members do not belong to SC/ST, then any Member of same status. (5) Subject Matter Specialist if required:- Member (6) Commission Secretary:- Convener
2	Directors	Not Applicable	According to regulation 8(1)(k)	(a) Bachelor's degree in Electrical / Mechanical Engineering from a recognized university. (b) 20 years of professional experience in large power utility/Electricity Board. (c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government. (d) Excellent written and verbal communication skill.	(a) Experience of determination of electricity tariffs in a power utility/Electricity Board. (b) Specialization in Regulatory Law. (c) Computer Literacy.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Joint Director	Not Applicable	According to regulation 8(1)(k)	<p>(a) Bachelor's degree in Electrical / Mechanical Engineering from a recognized university.</p> <p>(b) 15 years experience in large power utility/Electricity Board.</p> <p>(c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government.</p> <p>(d) Excellent written and verbal communication skill.</p>	<p>(a) Experience of monitoring of enforcement of various regulations.</p> <p>(b) Familiarity with Indian Electricity Laws.</p> <p>(c) Knowledge of power sector.</p> <p>(d) Computer Literacy.</p>	(7)
4	Deputy Director	30 years	35 years	<p>(a) Bachelor's Degree from a recognized university in Electrical / Mechanical Engineering.</p> <p>(b) 10 years experience in large power utility/ Electricity Board etc.</p> <p>(c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government.</p> <p>(d) Excellent written and verbal communication skill.</p>	<p>(a) Familiar with Electricity Laws and Power Sector reforms.</p> <p>(b) Knowledge of finance and accounts of power utility. Familiarity with electricity laws.</p> <p>(c) Computer literacy.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Deputy Director (Information Technology)	Not Applicable	According to regulation 8(1)(k)	(a) Engineering Graduate in Computer Science/ Information Technology or Master of Computer Application or Master of Science from a recognised University/Institute. (b) 10 years of work Experience in Information Technology Management. (c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government. (d) Excellent written/verbal communication skill.	(a) Adequate experience of handling computer systems in Govt. Deptt/PSU	
6	Assistant Director (Information Technology)	Not Applicable	According to regulation 8(1)(k)	(a) Engineering Graduate in Computer Science/ Information Technology or Master of Computer Application or Master of Science from a recognised University/Institute. (b) 5 years of work Experience in Information Technology Management (c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government.	(a) Experience of Project work in RDBMS (Relational Data Base Management System) or Web enabled projects. (b) 2 years Experience in Operational & Maintenance of LAN (Local Area Network) in large Organisation.	

(1)	(2) Accounts Officer	(3) 25 years	(4) 35 years	(d) Excellent written/verbal communication skill. (5) (a) Bachelor's degree in Commerce from a recognised university. (b) 5 years of professional experience in State Accounts, Treasury Operation, audit, budget, pay rolls and Book keeping. (c) Excellent written and verbal communication skill and Computer Literacy.	(6) Experience in Accountancy	(7)
7						
8	Personnel Officer	25 years	35 years	(a) Bachelor's degree from a recognised university. (b) 5 years of professional experience in large power utility/State Government/Central Government. (c) Officers holding analogous post on regular basis in Central/State Government or any PSU under Central/State Government. (d) Excellent written/verbal communication skill and Computer Literacy.	(a) Administrative Experience in Managerial Capacity in Central/State Government/ PSU under Central /State Government. (b) Sound Knowledge of service and Account matter. (c) Computer Literacy.	

SCHEDULE-IV

(See Regulation No.14)

S.No.	Name of post from which promotion is to be made (2)	Name of post to which promotion is to be made (3)	Experience (4)	Members of the Committee (5)
1	Joint Director	Director	6 years	(1) Chairperson of MPERC:- Chairperson
2	Deputy Director	Joint Director	9 years	(2) Member 1:-Member
3	Deputy Director (Administration)	Joint Director (Administration)	9 years	(3) Member 2:-Member
4	Personnel Officer/ Accounts Officer	Deputy Director (Administration)	5 years	(4) In case nominated Members do not belongs to SC/ST, then any Member of same status. (5) Subject Matter Specialist if required:- Member
5	Personnel Assistant	Private Secretary	5 years	(6) Commission Secretary:- Convener

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secretary.